



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➤ धौलपुर में वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक, (हाल रीडर तहसीलदार) कार्यालय तहसीलदार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर 4,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

जयपुर, दिनांक 05 अगस्त, 2026। को एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर एसीबी चौकी धौलपुर द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक (हाल रीडर तहसीलदार) कार्यालय तहसीलदार तहसील सैपऊ जिला धौलपुर को परिवादी से 4,000/- रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कि एसीबी चौकी धौलपुर को दिनांक 19.06.2026 को एक शिकायत इस आशय कि प्राप्त हुई कि परिवादी की माताजी ने ग्राम बरा पटवार क्षेत्र मालोंनी खुर्द में 8 बिस्वा जमीन क्रय की थी, जिसका नामान्तरण भी दर्ज हो चुका है। उक्त भूमि के विभाजन प्रस्ताव के संबंध में परिवादी ने एस.डी.एम न्यायालय सैपऊ में वाद किया है, जिस पर एस.डी.एम न्यायालय सैपऊ ने दिनांक 25.03.2026 को डिक्री का आदेश जारी कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रवीण गुप्ता तहसीलदार सैपऊ को आदेश किया था, जिस पर परिवादी आरोपी वीरेन्द्र वरिष्ठ सहायक, हाल रीडर तहसीलदार से मिला तो आरोपी ने 18,000/- रुपये रिश्वत की मांग की। उक्त शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराये जाने पर आरोपी वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक द्वारा 18,000/- रुपये की रिश्वत राशि मांगने की स्पष्ट पुष्टि होना पाया गया, जिसमें से 10,000/- रुपये सत्यापन से पूर्व व 4,000/- रुपये दौराने रिश्वत मांग सत्यापन आरोपी वीरेन्द्र सिंह वरिष्ठ सहायक हाल रीडर तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्राप्त किये गये।

एसीबी भरतपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में आज दिनांक 05.08.2026 को एसीबी चौकी धौलपुर के पुलिस उप अधीक्षक श्री प्रेमचन्द मीणा के नेतृत्व में मय टीम के ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ सहायक, हाल रीडर तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर को 4,000/- रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है रिश्वत राशि आरोपी की पहनी पेन्ट की जेब से बरामद की गई है।

अग्रिम कार्यवाही जारी है। आरोपी से पूछताछ व कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।